[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

नई दिल्ली, तारीख 9 जून, 2017

19 ज्येष्ठ, 1939 शक

अधिसूचना सं. 14/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. (अ)--केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 83 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1), की धारा 37क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण में सा.का.नि. संख्यांक 151 (अ), तारीख 01 मार्च, 2007, सा.का.नि. संख्यांक 303 (अ), तारीख 19 अप्रैल,2007 और सा.का.नि. संख्यांक 60 (अ) तारीख 30 जनवरी, 2009, द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड की क्रमश: अधिसूचना सं. 11/2007-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), तारीख 01 मार्च, 2007, अधिसूचना सं. 16/2007-सेवा कर, तारीख 19 अप्रैल, 2007 और अधिसूचना सं. 6/2009-सेवा कर, तारीख 30 जनवरी, 2009 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, यह निदेश देती है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 3 और सेवा कर नियम, 1994 के नियम 3 के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों का प्रयोग,--

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रधान मुख्य आयुक्त ; या

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर मुख्य आयुक्त,

द्वारा उनके अधीनस्थ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) के उपबंधों के अधीन जारी कारण बताओ सूचनाओं के न्यायनिर्णयन के समनुदेशन के प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा ।

2. यह अधिसूचना, केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 137/17/2017-सेवा कर]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)

अवर सचिव, भारत सरकार